संख्याः– 1017/07 / (वि0आ0निदे0) / xxvii(1) / 2021

प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 ::देहरादून:: दिनांक: 24 नवम्बर, 2021

विषयः– **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में "प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए सहायता–उप केन्द्र" के लिए धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं–F.15(42)FC-XV/FCD/2020-25, दिनांकः 12.11.2021 के कम में 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत "**प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए सहायता–उप केन्द्र" की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹13,60,00,000.00 (₹तेरह करोड़ साठ लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/xxvii(6)/430/एक/2008/2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 द्वारा 01 अप्रैल, 2019 से राज्य के समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) लागू कर दी गई। उक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन बिल तैयार कर संबंधित जनपदों के प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए सहायता–उप केन्दों के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग की योजनाओं हेतु खोले गये खातों में तत्काल धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करायी जायेगी। महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।

ii. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार अंतरित अनुदान की धनराशि दस कार्य दिवस के भीतर संबंधित स्थानीय निकाय/ विभाग अथवा अधिकृत संस्था को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी विलम्ब के लिये पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋण/ राज्य विकास ऋण (SDLs) पर प्रभावी ब्याज दर के साथ ब्याज सहित किश्त जारी करनी होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/ संस्था का होगा।

iii. उपर्युक्त योजनाओं हेतु संस्तुत अनुदान के संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधा/ गतिविधि हेतु 15वें वित्त आयोग अनुदान से वित्त पोषित योजना का और अन्य योजनाओं जैसेः–एनएचएम (NHM) पीएमएएसबीवाई (PMASBY) आदि से पुनरावृत्ति/दोहरीकरण (Duplication) न हो।

iv. प्राप्तकर्ता इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के लिए एक अलग से बैंक खाता खोला गया है और इसे 2021–22 के दौरान ही पीएफएमएस (PFMS) के साथ जोड़ा गया है और इसके बाद पूर्ण अवार्ड अवधि में प्रत्येक लेनदेन को अनुरक्षित (Maintained) किया जायेगा।

v. 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के संबंध में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्याः F.15(2) FC-XV/FCD/2020-25, दिनांकः 16.07.2021 द्वारा परिचालन दिशा–निर्देश एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने शासनादेश दिनांकः 07.09.2021 द्वारा तकनीकी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसकी प्रति पूर्व में भी संबंधित विभागों को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त

शासनादेशों में दिये गये निर्देशों एवं 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–7 में की गई संस्तुतियों के अनुसार ही अनुदान का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

vi. आयोग द्वारा उक्त अनुदान विशिष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु संस्तुत किया गया है, जिसका उपयोग उसी योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया है।

vii. आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के संबंध में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की गई कार्ययोजना के अनुसार ही योजनावार अनुदान की धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

viii. अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2017 (संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

ix. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी / वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

x. अंतरित धनराशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित एनेक्सर–IX (एनेक्सर–IX संलग्न) पर अनुदान स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र पर वांछित सूचना सचिव, पंचायतीराज एवं सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के हस्ताक्षर से तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार नियमानुसार संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र उक्त विभाग के सचिवगणों से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को दिनांकः 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 423/9(150) 2019 /xxvii(1)/ 2021, दिनांकः 31 मार्च, 2021 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना का सक्षम स्तर से परीक्षण एवं अनुमोदन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

xii. Allotment ID संलग्न है।

2– **इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या– 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 15– प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजना सुविधा के लिए नैदानिक बुनियादी ढ़ांचा हेतु सहायता उप केन्द्र (100 प्रतिशत के0पो0) , 42–अन्य विभागीय व्यय नामे डाला जायेगा।**

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः– /07/(वि0आ0निदे0)/xxvii(1)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल उत्तराखण्ड।
3. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड–देहरादून।
4. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, ब्लाक 11, पंचम तल सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी–उत्तराखण्ड।
11. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देहरादून।
12. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
13. निजी सचिव, मा० पंचायतीराज मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
14. निजी सचिव, मा० चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
15. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director General Medical Health Dehradun(2671)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H21110070574

आवंटन पत्र दिनांक-24-NOV-2021

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

00--

200-????? ????? ??????????? ??? ????????

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

15-प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजना सुविधा के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता उप केन्द्र (100% के0पो0)

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	5

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	0	136000000	0	136000000
योग	0	136000000	0	136000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.13,60,00,000 (Rupees Thirteen Crores Sixty Lacs Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2111:0023

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(पी0 रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन